सं0–7/सामुदायिक–09–01/2018– 64 (7)व

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन
(संलग्न विवरणी के अनुसार)

पटना, दिनांक 05-12-2018

विषयः– स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें– एलोपैथी–110–अस्पताल तथा औषधालय–0001–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र–विपत्र कोड–20-2210031100001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–2019 में वेतन भत्ते मद एवं अन्य मदों में कुल ₹18,49,36,200/–(अट्ठारह करोड़ उनचास लाख छत्तीस हजार दो सौ रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या–18(7)ब दिनांक–14.06.18 एवं 49(7)ब दिनांक–11.10.18 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018–2019 में वेतन भत्ते मद एवं अन्य मदों में कुल ₹18,49,36,200/–(अट्ठारह करोड़ उनचास लाख छत्तीस हजार दो सौ रूपये) मात्र अतिरिक्त आवंटन दी जाती है। (विवरणी संलग्न)

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक–2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक–04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें– एलोपैथी–110–अस्पताल तथा औषधालय–0001–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र–विपत्र कोड– 20–2210031100001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–2019 के आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा ।

4. सिविल सर्जन अपने स्तर से अधीनस्थ संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी संबंधित रेफरल अस्पताल/प्रा0स्वा0केन्द्र में कार्यरत बल के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018–19 के वेतन भत्ता तथा अन्य मद के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उप आवंटन एक मुश्त में करेंगे। उप आवंटन की एक प्रति विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

5. सिविल सर्जन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी । इसकी पूरी जबावदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी ।

6. आहार/पथ्य, मशीने एवं उपस्कर, सामग्री एवं पूर्तियाँ, दवा भंडार एवं दूरभाष के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित सिविल सर्जन तथा अन्य इकाईयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरूद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।

8. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीध्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

9. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–96(9) दिनांक–18.02.99, 142(9) दिनांक–15.03.2001, 241(9) दिनांक–21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक–16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।

11. संविदा सेवाएँ (28–02) तथा व्यवसायिक/ कला/ तकनीकी सेवाएँ (28–04) इकाई के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी होंगे ।

12. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रकिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

13. इस आवंटनादेश से वेतन भुगतान के कम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे ।

14. विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान के क्रम में विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायगा कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लाई गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है।

15. सामग्री एवं पूर्तियॉ मद में आवंटित राशि से सतरंगी चादर संबंधित भुगतान की राशि भी सम्मिलित है ।

16. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

17. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

5/12/18

(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 65(7)9 पटना, दिनांक : 05-12-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार(ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी /सभी क्षेत्रीय उप निदेशक/ सभी कोषागार पदाधिकारी/ सभी उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी–7/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पॉच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

5/12/18

सरकार के विशेष सचिव

विवरणी-I

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में बिहार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उपशीर्ष का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों में अतिरिक्त आवंटन (विपत्र कोड -20-221003110001)

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01-01)	जीवन यापन भत्ता (01-03)	मकान भत्ता (01-04)	चिकित्सा भत्ता (01-06)	अन्य भत्ता (01-07)	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06-01)	यात्रा व्यय (11-01)	कार्यालय व्यय (13-01)	दूरभाष (13-03)	विद्युत प्रभार (13-04)	विधि प्रभार (13-05)	वर्दी/पोशाक (13-06)	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21-01)	दवा भंडार (21-02)	आहार/पथ्य (21-03)	संविदा सेवाएँ (28-02)	व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ (28-04)	मशीन एवं उपस्कर (52-01)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	पटना	8000000	880000	1200000	160000	400000	10640000	0	10000	10000	15000	100000	0	20000	0	0	0	500000	0	0	11295000	7765/02.11.18
2	भोजपुर	5000000	550000	750000	100000	250000	6650000	0	0	0	0	80000	0	0	0	7000000	0	0	1000000	0	14730000	4118/27.10.18
3	रोहतास	4000000	440000	600000	80000	200000	5320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	5520000	2649/25.10.18
4	सुपौल	3000000	330000	450000	60000	150000	3990000	0	0	0	0	50000	0	5000	0	1500000	100000	500000	0	0	6145000	1582/1.11.18
5	कटिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000000	0	0	0	0	4000000	2474/26.10.18
6	पूर्णिया	310000	34100	46500	6200	15500	412300	0	0	0	0	0	0	0	500000	8000000	100000	4000000	500000	500000	14012300	2934/27.10.18, 3000/1.11.18
7	मधुबनी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	3500000	0	0	4500000	2749/8.11.18
8	दरभंगा	6000000	660000	900000	120000	300000	7980000	0	10000	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	8040000	2013/22.10.18
9	सारण	7000000	770000	1050000	140000	350000	9310000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500000	0	0	10810000	3010/23.10.18
10	समस्तीपुर	4500000	495000	675000	90000	225000	5985000	49900	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	6084900	2236/25.10.18
11	जमुई	3000000	330000	450000	60000	150000	3990000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	3000000	0	7490000	1942/23.10.18
12	गया	800000	88000	120000	16000	40000	1064000	0	5000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1072000	3365/29.10.18
13	सीवान	6000000	660000	900000	120000	300000	7980000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000000	1500000	0	11480000	39/26.10.18
14	बेगुसराय	4000000	440000	600000	80000	200000	5320000	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	5630000	2172/1.11.18
15	शेखपुरा	900000	99000	135000	18000	45000	1197000	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	500000	0	0	1707000	1392/25.10.18
16	मधेपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000	0	3000000	970/23.10.18
17	मोतिहारी	9000000	990000	1350000	180000	450000	11970000	0	10000	10000	50000	76000	0	5000	0	0	0	5000000	0	0	17121000	2388/16.11.18 168/26.10.18
18	वैशाली	5000000	550000	750000	100000	250000	6650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6650000	2070/24.10.18
19	नालन्दा	6000000	660000	900000	120000	300000	7980000	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	9990000	3384/24.10.18
20	औरंगाबाद	8000000	880000	1200000	160000	400000	10640000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	100000	2000000	6000000	0	18745000	2118/25.10.18, 2242/15.11.18
21	भागलपुर	3000000	330000	450000	60000	150000	3990000	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0	4990000	3908/24.10.18
22	बाँका	3000000	330000	450000	60000	150000	3990000	0	10000	10000	0	50000	0	10000	500000	3000000	0	1000000	0	0	8570000	2257/25.10.18
23	सहरसा	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	0	60000	0	0	0	0	0	0	730000	0	797000	1909/19.9.18
24	अररिया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	7000	0	0	500000	0	2000000	0	0	2557000	2616/24.10.18
	कुल	86510000	9516100	12976500	1730200	4325500	115058300	49900	45000	65000	65000	566000	7000	50000	1000000	26000000	300000	24500000	16730000	500000	184936200	

(अट्ठारह करोड़ उनचास लाख छत्तीस हजार दो सौ) रू0 मात्र

64(7)9
05-12-18

सरकार के विशेष सचिव

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0001–01–01)	540000000	448500000	86510000	535010000	4990000
2	जीवन यापन भत्ता (0001–01–03)	60000000	49335000	9516100	58851100	1148900
3	मकान किराया भत्ता (0001–01–04)	88420000	67275000	12976500	80251500	8168500
4	चिकित्सा भत्ता (0001–01–06)	15500000	8970000	1730200	10700200	4799800
5	अन्य भत्ता (0001–01–07)	27700000	22425000	4325500	26750500	949500
6	त्यौहार अग्रिम (0001–01–08)	1000000	0	0	0	1000000
	योग 20-2210.03.110.0001.01 वेतन	**732620000**	**596505000**	**115058300**	**711563300**	**21056700**
6	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0001–06–01)	1000000	384059	49900	433959	566041
7	यात्रा व्यय (0001–11–01)	200000	155000	45000	200000	0
8	कार्यालय व्यय (0001–13–01)	750000	469000	65000	534000	216000
9	वाहन का ईंधन एवं रख रखाव (0001–13–02)	1000000	496000	0	496000	504000
10	दूरभाष (0001–13–03)	3000000	1420000	65000	1485000	1515000
11	विद्युत प्रभार (0001–13–04)	12000000	11434000	566000	12000000	0
12	विधि प्रभार (0001–13–05)	1000000	513000	7000	520000	480000
13	वर्दी/ पोषाक (0001–13–06)	593000	356000	50000	406000	187000
14	प्रशिक्षण व्यय (0001–20–03)	11212000	0	0	0	11212000
15	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0001–21–01)	29800000	15820000	1000000	16820000	12980000
16	दवा भंडार (0001–21–02)	150000000	99850000	26000000	125850000	24150000
17	आहार/ पथ्य (0001–21–03)	40000000	19610000	300000	19910000	20090000
18	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0001–27–02)	1000	0	0	0	1000
19	संविदा सेवाएँ (0001–28–02)	100000000	65625000	24500000	90125000	9875000
20	व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ (0001–28–02)	100000000	81975000	16730000	98705000	1295000
20	मशीने एवं उपस्कर (0001–52–01)	10000000	7035000	500000	7535000	2465000
	कुल योगः–	**1193176000**	**901647059**	**184936200**	**1086583259**	**106592741**

64(7)a
05-12-18

सरकार के विशेष सचिव